रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई० (पौष 28, 1946 शक संवत्) [संख्या 03

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	29–44	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाय, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	113–134	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	..	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	5–14	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	83–124	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों को कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित हाता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामन अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी आर वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–1

28 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4312/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री कृष्णानन्द	श्री श्रीनिवास मौर्या	01	54100138055	बलिया	ग्राम-गंगापुर, पोस्ट-सुरेमनपुर, थाना-बैरिया, जनपद-बलिया-277205	गोरखपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 म अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दा प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4313/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती ललिता शर्मा	W/o श्री ए कुमार मौर्य	08	54100125574	झांसी	निवासी-88, सिविल लाइन्स, नियर डी0आई0जी0 आफिस, झांसी-284001	गाजीपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुवेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानो तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4314/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री निवेदिता चौरसिया	श्री राजकुमार चौरसिया	09	54100045375	गोरखपुर	ग्राम-पल्हईपार बाबू, पे0- खजनी, जनपद-गोरखपुर-273212	संतकबीर नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारो शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कायभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4315/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती प्रियंका सिंह	W/o श्री सुधीर कुमार	17	54100071449	जौनपुर	सुधीर कुमार विलेज, राम नगर, पो0-घघरिया, जौनपुर-222143	प्रयागराज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4316/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
शालिनी सिंह	श्री नन्हें सिंह	21	54100130318	ऊधमनगर, उत्तरांचल	श्री नन्हें सिंह-109 वार्ड नं0-18, म0नं0-109, मो0-कटोराताल, पो0-काशीपुर, ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल-244713	बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर यागदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4317/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती लक्ष्मी देवी	W/o श्री अमित गुप्ता	22	54100104049	फतेहपुर	श्री राकेश गुप्ता द्वारा कृष्णा धर्मकॉटा, 60 मुगलही लंका रोड, फतेहपुर-212635	गौतमबुद्ध नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियाजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4318/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
स्वाति रानी	श्री लक्षमण सिंह	26	54100046286	बिजनौर	म0नं0-205, ग्राम-मोहम्मद अलीपुर अभयचन्द, पो0-सरकधल सानी, थाना-धामपुर बिजनौर-246761	अमरोहा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्था की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4319/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती नवनीता बसाक	W/o श्री हेमन्त यादव	29	54100097934	आजमगढ़	ग्रा0-टंडवा खास, तरवा, पोस्ट-टंडवा खास, आजमगढ़-276123	मऊ

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की स्चना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंग–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा य्नानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारो द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4320/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनाक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती रितू सिंह	W/o श्री आशुतोष कुमार सिंह	33	54100075048	महोबा	निवासी–द्वितीय/27, आफिसर्स कालोनी भातीपुरा, महोबा–210427	उन्नाव

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड पे–5400 (मैट्रिक्स लेवल–10) पर तैनात करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध में दिये गये प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक क्रिमिनल कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।,

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ साथ शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भलो–भांति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग–पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(क) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल–अचल सम्पत्ति का विवरण।

(ग) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4321/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
रूबैदा परवीन	श्री मोहम्मद रफीक	37	54100074809	जालौन	ग्राम व पोस्ट-चतेला, थाना-कदौरा, तह0-कालपी, जालौन-285203	जौनपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं पतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई० (पौष 28, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

March 01, 2024

No. 400/Admin. (Services)/2024–Sri Nepal Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Sushri Akanchha Jaiswal.

No. 401/Admin. (Services)/2024–Sushri Akanchha Jaiswal, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No. 402/Admin. (Services)/2024–Smt. Monika Pal, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Smt. Hemlata.

No. 403/Admin. (Services)/2024–Smt. Hemlata, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No. 404/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/133/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 29.02.2024, Sri Manoj Kumar Bhaskar, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Handiya District Prayagraj in the newly created court, created vide G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

No. 405/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/133/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 29.02.2024, Sri Vikas Verma-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Deoria is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Barhaj District Deoria in the newly created court, created

vide G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

No. 406/Admin.(Services)/2024–On reinstatement in the service, Sri Rajendra Prasad Bharati the then Additional Civil Judge (Junior Division), Kairana (Shamli at Kairana) to be Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot *vice* Sushri Shefali Yadav.

No. 407/Admin. (Services)/2024–Sushri Shefali Yadav, Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot *vice* Sushri Anjalika Priyadarshini.

No.408/Admin.(Services)/2024–Sushri Anjalika Priyadarshini, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot *vice* Sri S.Anand.

No. 409/Admin. (Services)/2024–Sri S. Anand, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Additional Civil Judge (Junior Division), Chitrakoot in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/ 870/Saat- Nyay-2-2016- 85G/2012 dated 06.07.2016.

March 02, 2024

No. 410/Admin. (Services)/2024–Sri Nitin Kumar Rathi, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Aligarh vice Sri Vakeel.

No. 411/Admin. (Services)/2024–Sri Vakeel, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Aligarh to be Civil Judge (Senior Division), Atrauli, Aligarh.

No. 412/Admin. (Services)/2024–Sushri Anu Chaudhary, Additional Civil Judge, Senior Division, Hathras to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hathras vice Sri Ashish Thirania.

No. 413/Admin. (Services)/2024–Sri Ashish Thirania, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hathras to be Additional Chief Judicial Magistrate/ Civil Judge, Senior Division, Sadabad, Hathras.

No. 414/Admin.(Services)/2024–Sri Akshaydeep Yadav, Additional Civil Judge, Senior Division, Lalitpur to be Civil Judge, Senior Division, Lalitpur *vice* Sri Naresh Kumar Diwakar.

No. 415/Admin. (Services)/2024–Sri Naresh Kumar Diwakar, Civil Judge, Senior Division, Lalitpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mehrauni, Lalitpur.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mehrauni, Lalitpur.

No. 416/Admin. (Services)/2024–Sri Sharib Ali, Chief Judicial Magistrate, Shrawasti at Bhinga is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Shrawasti at Bhinga.

No. 417/Admin.(Services)/2024–Sushri Yashaswi Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh *vice* Sri Abhishek Tripathi-II.

No. 418/Admin. (Services)/2024–Sri Abhishek Tripathi-II, Judicial Magistrate, First Class, Aligarh to be Judicial Magistrate, First Class, Aligarh *vice* Smt. Vidhi Singhal.

No. 419/Admin. (Services)/2024–Smt. Vidhi Singhal, Judicial Magistrate, First Class, Aligarh to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Aligarh *vice* Smt. Soumya Mishra-II.

No. 420/Admin. (Services)/2024–Smt. Soumya Mishra-II, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Aligarh is appointed U/s 11(2) of the Code of

Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh *vice* Sri Rajat Singh Yadav.

No. 421/Admin. (Services)/2024–Sri Rajat Singh Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Aligarh to be Civil Judge (Junior Division) (Koil), Aligarh *vice* Sri Gandhrv Patel.

No. 422/Admin. (Services)/2024–Sri Gandhrv Patel, Civil Judge (Junior Division) (Koil), Aligarh to be Civil Judge (Junior Division), Iglas (Aligarh) in the vacant court.

No.423/Admin.(Services)/2024–Sushri Shubhra Prakash, Judicial Magistrate, First Class, Aligarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh.

No. 424/Admin. (Services)/2024–Sri Sourabh Mandloi, Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh to be Civil Judge (Junior Division), Khair (Aligarh) in the vacant court.

No. 425/Admin. (Services)/2024–Sri Abhishek Singh-III, Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Civil Judge (Junior Division), Tanda (Ambedkar Nagar at Akbarpur) in the vacant court.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Tanda (Ambedkar Nagar at Akbarpur).

No. 426/Admin. (Services)/2024–Sri Chandan Singh, Civil Judge (Junior Division) (West), Ballia is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Ballia *vice* Sri Pushpendra Kumar Singh.

No.427/Admin.(Services)/2024–Sri Pushpendra Kumar Singh, Judicial Magistrate, First Class, Ballia to be Civil Judge (Junior Division), Rasra (Ballia) in the vacant court.

No. 428/Admin. (Services)/2024–Sushri Bushra Khursheed, Additional Civil Judge (Junior Division), Bijnor to be Civil Judge (Junior Division), Chandpur (Bijnor) in the vacant court.

No.429/Admin. (Services)/2024–Sri Deevanshu Saini, Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Civil. Judge (Junior Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri) *vice* Sushri Charu Nand.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mohammadi (Lakhimpur Kheri).

No. 430/Admin. (Services)/2024–Sushri Charu Nand, Civil Judge (Junior Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri).

No. 431/Admin. (Services)/2024–Sri Atul, Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Civil Judge (Junior Division), Mehrauni (Lalitpur) in the vacant court.

No. 432/Admin. (Services)/2024–Sri Rahul Jaiswal, Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Budhana (Muzaffar Nagar) in the vacant court.

March 04, 2024

No. 433/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Kiran Bala, Additional District & Sessions Judge, Moradabad [Presently designated to work as the Secretary (Full Time), DLSA] till the Dr. Ajay Kumar-II, District & Sessions Judge, Moradabad assumes charge of the office.

March 07, 2024

No. 434/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 1065/II-4-2023 dated 28.02.2024, the promotion of Sri Mohd. Sapheek, Additional District & Sessions Judge, Bansi (Siddharth Nagar), from the cadre of Civil Judge (Senior Division) to the U.P. Higher Judicial Service under Rule 22(1) of the U.P.H.J.S. Rules, 1975 (as amended), be treated as notional *w.e.f.* 06.10.2015 *ie.* the date of his immediate junior officer was promoted, against the supernumerary post created for the period 06.10.2025 to 18.02.2018.

March 11, 2024

No. 435/Admin. (Services)/2024–Smt. Neelam Dhaka, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia for trying cases of crime against women *vice* Sri Rahul Dubey.

No. 436/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 154/Do-4-2024 dated 07.03.2024, Sri Rahul Dubey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Legislative), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 437/Admin. (Services)/2024–Smt. Shipra Arya, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao *vice* Sri Anil Kumar Seth.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Unnao against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 438/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 154/Do-4-2024 dated 07.03.2024, Sri Anil Kumar Seth, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Legislative), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 439/Admin. (Services)/2024–In partial modification to the Court's notification no. 434/Admin.(Services)/2024 dated 07.03.2024, the period of supernumerary post mentioned in the said notification "06.10.2025 to 18.02.2018" be read as "06.10.2015 to 18.02.2018".

March 15, 2024

No. 440/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No. 08/2024/140/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 13.03.2024, Sri Amit Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Zamania District Ghazipur in the newly created court, created vide G.O.No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

March 23, 2024

No. 441/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/195/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.03.2024, Sri Pankaj Kumar-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Bahraich is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Mahasi in District Bahraich.

No.442/Admin.(Services)/2024–Sri Mohammad Younis, Additional Civil Judge; Junior Division, Hardoi is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Smt. Negi Chaudhary.

No. 443/Admin. (Services)/2024–Smt. Negi Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Civil Judge, Junior Division (East), Hardoi *vice* Sri Md. Zishan Khan.

No. 444/Admin. (Services)/2024–Sri Md. Zishan Khan, Civil Judge, Junior Division (East), Hardoi is appointed U/s 11(2) of the Code of

Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Sri Sandeep Mani.

No. 445/Admin. (Services)/2024–Sri Sandeep Mani, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Civil Judge, Junior Division (West), Hardoi *vice* Sri Praveen Kumar Gautam.

No 446/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/195/VII-Nyay-2-2024- 216G/2007 T.C.-II dated 22.03.2024, Sri Praveen Kumar Gautam, Civil Junior Division (West), Hardoi is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Sandila in District Hardoi.

No. 447/Admin. (Services)/2024–Sri Priyanshu Shailat, Additional Civil Judge, Junior Division, Kasganj to be 2nd Civil Judge, Junior Division, Kasganj *vice* Sushri Shalini Singh-II.

No. 448/Admin. (Services)/2024–Sushri Shalini Singh-II, 2nd Civil Judge, Junior Division, Kasganj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kasganj *vice* Smt. Mahima Chaudhary.

No. 449/Admin. (Services)/2024–Smt. Mahima Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Kasganj to be 1st Civil Judge, Junior Divison, Kasganj *vice* Sri Anurag.

No. 450/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/195/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.03.2024, Sri Anurag, 1st Civil Judge Junior Division, Kasganj is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Patiyali in District Kasganj.

No. 451/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/195/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.03.2024, Smt. Bindu Yadav, Additional Civil Judge Junior Division, Rampur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Bilaspur in District Rampur.

No. 452/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification No./2024/195/VII-Nyay-2 2024-216G/2007 T.C.-II dated 22.03.2024, Sri Arun Gautam, Additional Civil Judge Junior Division, Gonda is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Colonelganj in District Gonda in the newly created court, created vide G.O. No.-25/ 2015/1462/ VII-Nyay -2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

April 10, 2024

No. 453/Admin. (Services)/2024–Sri Sanjiv Pandey, District & Sessions Judge, Baghpat to be District & Sessions. Judge, Varanasi.

No. 454/Admin. (Services)/2024–Sri Sanjay Kumar Malik, District & Sessions Judge, Siddharthnagar to be District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 455/Admin. (Services)/2024–Sri Virjendra Kumar Singh, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Basti to be District & Sessions Judge, Siddharthnagar.

No. 456/Admin.(Services)/2024–Sri Chandroday Kumar, District & Sessions Judge, Lalitpur to be District & Sessions, Judge, Kannauj.

No. 457/Admin. (Services)/2024–Sri Ravindra Vikram Singh, Presiding Officer, Commercial Court, Jhansi to be District & Sessions Judge, Sonbhadra.

No. 458/Admin. (Services)/2024–Court's notification no. 2113/Admin. (Services)/2023 dated 08.11.2023, no. 2116/Admin. (Services)/2023 dated 08.11.2023, no. 2727/Admin.(Services)/2023 dated 18.11 2023, no. 2728/Admin.(Services)/2023 dated 18.11.2023, and no. 2746/Admin. (Services)/2023 dated 18.11.2023, are hereby annulled.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 3382/एस0टी0-मु0वि0अ0/2022-23–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा– कि यहॉ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 की पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

अंकुर कौशिक,
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 590/एस0टी0-मु0वि0अ0/व्य0पत्रा0/2023–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

सान्या छाबड़ा,
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी,
अमेठी।

प्रतिहस्ताक्षरित,
राकेश कुमार मिश्र,
जिलाधिकारी,
अमेठी।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1937-1/एसटी/मु0वि0अ0/व्य0पत्रा0/2022-2023–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 लखनऊ के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रोन्नत समयमान वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर प्रोन्नत समयमान-वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

जुनैद अहमद,

आई0ए0एस0

मुख्य विकास अधिकारी,

झाँसी।

प्रतिहस्ताक्षरित,
रविन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 04/एस0टी0-सी0डी0ओ0/2022-23–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने क फलस्वरूप, जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

सूरज पटेल,

आई0ए0एस0

मुख्य विकास अधिकारी,

फतेहपुर।

प्रतिहस्ताक्षरित,
श्रुति,
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 472/आशु0लि0-मु0वि0अ0/व्य0प0/2023–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

दीक्षा जैन,
मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

प्रतिहस्ताक्षरित,
रवि रंजन,
जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 216/एस0टी0-मु0वि0अ0/विविध पत्रा0/2022-23–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन क्रम में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

अनुराज जैन,
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

प्रतिहस्ताक्षरित,
जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1150/स्था0प्र0/2022-23–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

मनीष मीना,

आई0ए0एस0

मुख्य विकास अधिकारी,

मथुरा।

प्रतिहस्ताक्षरित,
पुलकित खरे,
जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, इटावा

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 705A/एस0टी0-सी0डी0ओ0/व्य0पत्रा0/2023–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन क्रम में अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप, जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

प्रणता ऐश्वर्या,

आई0ए0एस0

मुख्य विकास अधिकारी,

इटावा।

प्रतिहस्ताक्षरित,
अवनीश राय,
जिलाधिकारी,
इटावा।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली

प्रभार प्रमाण-पत्र

02 जनवरी, 2023 ई0

सं0 05/बी0सी0-1/व्य0पत्रा0/2023–उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1895/दो-1-2022 दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति वर्तमान पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2023 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में होने के फलस्वरूप जैसा– कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में वर्तमान पद पर वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) (पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण किया गया–

पूजा यादव,
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी,
रायबरेली।

प्रतिहस्ताक्षरित,
माला श्रीवास्तव,
जिलाधिकारी,
रायबरेली।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ

15 जुलाई, 2023 ई0

सं0 1154/वाचक-डीसीपीटी-(नो-पार्किंग)/2023–लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम एवं सुचारू संचालन हेतु मैं आशीष श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम, 117 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम, 178 में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए लखनऊ शहर में यातायात जाम, जनसुरक्षा, आम नागरिक के लिए सुविधाओं एवं अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग से हो रही समस्याओं के दृष्टिगत यह उचित पाता हूँ कि लखनऊ शहर में निम्न मार्गों पर किसी भी प्रकार के मोटर वाहन की पार्किंग प्रतिबन्धित रहेगी। (2 पहिया एवं उससे अधिक पहिया के वाहन की पार्किंग प्रतिबन्धित रहेगी)

यातायात कमिश्ररेट लखनऊ में ना-पार्किंग स्थल का विवरण

नो-पार्किंग स्थल

क्रम सं0	हजरतगंज यातायात क्षेत्र	थाना
1	2	3
1	विधानसभा के चारों तरफ का मार्ग	हजरतगंज
2	गौतमपल्ली चौराहे से हजरतगंज अटल चौराहा से मेफेयर तिराहे तक	हजरतगंज
3	अल्का तिराहे से सेंट फ्रसिंस स्कूल से होकर सहारागंज तिराहे तक	हजरतगंज

1	2	3
4	गोल्फ चौराहे से वीवीआईपी गेस्ट हाउस लाल बत्ती चौराहे तक	गौतमपल्ली/हजरतगंज
	आलमबाग यातायात क्षेत्र	
5	आलमबाग बस अड्डा के सामने सड़क पर	आलमबाग
	चारबाग यातायात क्षेत्र	
6	बापूभवन चौराहे से बर्लिंग्टन से रविन्दालय से नत्था तिराहे तक	हुसैनगंज/नाका
	चौक यातायात क्षेत्र	
7	घण्टाघर से बड़ा इमामबाड़ा	चौक
	काकोरी यातायात क्षेत्र	
8	दुबग्गा चौराहे से छंदोइया तिराह तक	दुबग्गा
	सुशान्त गोल्फ सिटी व गोमती नगर यातायात क्षेत्र	
9	कमता तिराहा से बी0बी0डी0 तक मुख्य मार्ग	विभूतिखण्ड
10	हुसडिया चौराहा से हनीमैन चौराहे तक	गोमतीनगर
	महानगर यातायात क्षेत्र	
11	निशातगंज/गुडबेकरी चौराहे के सामने मुख्य मार्ग	महानगर

उपरोक्त मार्गों पर दिनांक 17 जुलाई, 2023 से नो-पार्किंग जोन अग्रिम आदेश तक घोषित किया जाता है और इसके उल्लंघन करने पर धारा-127 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहनों को क्रेन द्वारा खींचकर हटाया जायेगा और सम्बन्धित वाहन मालिक को धारा-127 एमवी एक्ट की उपधारा-(3) के अनुसार नो-पार्किंग चालान एवं टोइंग कास्ट अदा करना पड़ेगा, जोकि समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त मार्गों पर नो-पार्किंग का बोर्ड स्थापित कराया जायेगा और मीडिया में प्रचारित/प्रसारित कराया जायेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन व अन्य आकस्मिक सेवा के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

उपरोक्त आदेश का पूरी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

25 अगस्त, 2023 ई0

सं0 1514/वाचक-डीसीपीटी-(नो-पार्किंग)/2023–लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम एवं सुचारू रूप से संचालन कराये जाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम 117 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लखनऊ शहर में यातायात जाम, जनसुरक्षा, आम नागरिको के लिएं सुविधाओं एवं अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग से हो रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये पत्र संख्या-वाचक-डीसीपीटी-(नो–पार्किंग)/2023 दिनांक 15 जुलाई, 2023 के माध्यम से जनपद लखनऊ शहर में 11 मार्गों पर किसी भी प्रकार के मोटर वाहन की पार्किंग को प्रतिर्बान्धत किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

उक्त स्थानों के अतिरिक्त कतिपय अन्य स्थान भी चिन्हित किये गये है, जहाँ गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। जन सामान्य द्वारा भी अपने सुझावों में इन स्थानों को नये नो-पार्किंग जोन के रूप में चिन्हित कराने का आग्रह किया है।

अतः पुलिस आयुक्त, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त मोटर वाहन अधिनियम 1988 व उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्न अतिरिक्त स्थानों को "नो-पाकिंग जोन" दिनांक 25 अगस्त, 2023 से अग्रिम आदश तक घोषित किये जाते है।

यातायात कमिश्नरेट लखनऊ में नो-पार्किंग स्थल का विवरण

क्रम सं0	नो-पार्किंग स्थल	थानाक्षेत्र
1	2	3
1	पत्रकारपुरम चौराहे से हुसडिया तक सड़क के दोनो तरफ	गोमतीनगर
2	पत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पाण्डेय चौराहे तक सड़क के दोनो तरफ	गोमतीनगर
3	पत्रकारपुरम चौराहे से नवाबपुरवा चौराहे तक सड़क के दोनो तरफ	गोमतीनगर
4	पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनो तरफ	गोमतीनगर
5	अवध चौराहे पर चारो तरफ 100 मीटर की परिधि में एवं इसी परिधि की समस्त सड़कों के दोनो तरफ	कृष्णानगर/पारा
6	पालीटेक्निक चौराहे पर चारा तरफ 100 मीटर की परिधि में एवं इसी परिधि की समस्त सड़कों के दोनो तरफ	गाजीपुर
7	पूर्व में आलमबाग बस अड्डे के सामने के नो-पार्किंग जोन को संसोधित कर टेढ़ी पुलिया (आलमबाग) से पिकेडली तिराहा तक सडक के दोनो ओर	आलमबाग/पारा /कृष्णानगर

उपरोक्त मार्गों पर दिनांक 25 अगस्त, 2023 से नो-पार्किंग जोन अग्रिम आदेश तक घोषित किया जाता है और इसके उल्लंघन करने पर धारा-127 मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहनों को क्रन द्वारा खींचकर हटाया जायेगा और सम्बन्धित वाहन मालिक को धारा 127 एमवी एक्ट की उपधारा (3) के अनुसार नो-पार्किंग चालान एवं टोईंग कास्ट अदा करना पडगा, जोकि समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त मार्गों पर नो-पार्किंग का बोर्ड स्थापित कराया जायेगा और मीडिया में प्रचारित/प्रसारित कराया जायेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन व अन्य आकस्मिक सेवा के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे। वाहन सड़क के किनारे अंतिम पीली/सफेद पट्टी की बॉई ओर पार्क किये जा सकेंगे। परन्तु चौराहों के 100 मीटर की परिधि मे कोई वाहन, आटो रिक्शा आदि पार्क नहीं किया जायेगा और न रोककर सवारी भरी जायेगी। यह जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जा रहा है। उल्लंघन की दशा में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त आई0पी0सी0 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी। सिटी बस (बस अड्डे स्थानान्तरित होने तक) चौराहो पर सवारी ले सकेंगे।

उपरोक्त आदेश का पूरी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आशीष श्रीवास्तव,
पुलिस उपायुक्त, यातायात,
कमिश्नरेट लखनऊ।

कार्यालय, पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट, वाराणसी

आदेश

10 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 16/24/रीडर/पु0उपा0(टी)-रूट निर्धा0/2024–कमिश्नरेट वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारु एव सुगम बनाने के लिए टोटो/ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। माह सितम्बर 2024 तक कमिश्नरेट वाराणसी में कुल टोटो/ई-रिक्शा की संख्या- 26340 है, जिसमें फिटनेसयुक्त वाहन 13056 तथा अनुपयुक्त ई-रिक्शा की संख्या–13284 है। जनपद में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 ई-रिक्शा/आटो ई-रिक्शा का पंजीकरण हो रहा है जिनका संचालन वर्तमान में उपलब्ध रूट पर ही होता है। आये दिन ई-रिक्श/आटो ई-रिक्शा व आटो की अप्रत्याशित वृद्धि एवं इनके मनमाने संचरण से अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित कर सुव्यवस्थित करने हेतु कमिश्नरेट वाराणसी में संचालित काशी जोन को चार रूटों में विभाजित कर क्यूआर कोड युक्त कलर स्टिकर्स की कार्यवाही प्रचलित की गयी है, वर्तमान में ई-रिक्शा परिमिट व्यवस्था से मुक्त है जिस कारण इनका रूट निर्धारण सम्भागीय

परिवहन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। परन्तु धारा-31 पुलिस एक्ट के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा-115 एवं उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली 1998 के अधिनियम 178 में भी मोटर वाहनों के संचालन को नियंत्रित किये जाने हेतु पर्याप्त अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। अतः मै हृदेश कुमार, पुलिस उपायुक्त यातायात इन अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोटो/ई-रिक्शा क रूट निर्धारण हेतु दिनांक 10 सितम्बर, 2024 से निम्नांकित व्यवस्था लागू करता हूँ।

काशी जोन के थाना क्रमशः– कोतवाली, आदमपुर,दशाश्वामेध, चौक, लक्सा, भेलूपुर, लंका, चितईपुर, चेतगंज, सिगरा व जैतपुरा को चार रुटो में ई-रिक्शा संचरण हेतु विभाजित किया गया है । विवरण रुट निम्नवत् है–

रुट नं0 –01 (कलर - लाल)–

इस रुट पर थाना कोतवाली, जैतपुरा एव आदमपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के टोटो/ई-रिक्शा चलेंगे जिनकी कुल संख्या– 5071 है । इस रुट के सभी टोटो/ई-रिक्शा चालक हाल्टिंग प्वाइंट नमोःघाट, विशेश्वरगंज, हरिश्चन्द्र पीजी कालेज/मैदागिन चौराहा, कबीरमठ/पिपलानी कटरा व लकड़मण्डी तिराहा से सवारी ले सकेगें और सवारी लेकर गन्तव्य प्रस्थान कर सकेंगे है ।

रुट नं0–02 (कलर - पीला)–

इस रूट पर थाना चेतगंज, लक्सा, दशाश्वामेध, चौक, सिगरा थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के टोटो/ई-रिक्शा चलेंगे जिनकी कुल संख्या 3362 है । इस रूट के सभी टोटो/ई-रिक्शा चालक हाल्टिंग प्वाइंट कबीरमठ तिराहा, लकड़मण्डी तिराहा, अमरउजाला, सिगरा चौराहा से आगे तनिष्क शोरुम तिराहा, बेनियाबाग, महमूरगंज से सवारी लेकर चल सकेंगे ।

रुट नं0–03 (कलर – हरा)–

इस रूट पर थाना भेलूपुर क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के टोटो/ई-रिक्शा चलेंगे जिनकी कुल संख्या – 2786 है । इस रूट के सभी टोटो/ई-रिक्शा चालक हाल्टिंग प्वाइंट रथयात्रा सिगरा के मध्य भगवानदास कॉलोनी मोड़/तनिष्क शोरूम तिराहा, महमूरगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं0-01 के सामने, पदमश्री चौराहा, गुरुधाम चौराहा, सामनेघाट पुल पश्चिमो तिराहा पुल के नीचे, जंगमबाड़ी/पाण्डेय हवेली बैरियर, खारीकुँआ, भिखारीपुर तिराहा से सवारी लेकर चल सकेगें ।

रुट नं0–04 (कलर - आसमानी)–

इस रूट पर थाना लंका तथा चितईपुर के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के टोटो/ई-रिक्शा चलेंगे जिनकी कुल संख्या– 2507 है । इस रूट के सभी टोटो/ई-रिक्शा चालक हाल्टिंग प्वाइंट रवीन्द्रपुरी चौराहा, सामनेघाट पुल, पश्चिमी अण्डरपास, सामनेघाट से सवारी लेकर चल सकगे।

नोटः–

- रामनगर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के टोटो रामनगर थाना क्षेत्र एवं रामनगर से नमोःघाट तक व सामनेघाट पुल के नीचे तक चल सकेंगे ।

- वरुणा जोन एवं गोमती जोन के टोटो/ई-रिक्शा काशी जोन में कदापि ही प्रवेश नही करेंगे। यदि कोई सवारी कैण्ट रेलवे स्टेशन जाना चाहता है तो उसे टोटो/ई-रिक्शा चालक द्वारा प्लेटफार्म नं0-09 की तरफ छोड़ा जायेगा। रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वारा की तरफ जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई सवारी गोदौलिया, सिगरा, नमोःघाट जाना चाहता है तो टोटो/ई-रिक्शा के चालक द्वारा लकड़मण्डी तक सवारी छोड़ा जायेगा । उसके आगे तक जाना प्रतिबंधित रहगा ।

अतः महानगर क्षेत्र वाराणसी में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित रूट का अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा। साथ ही उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी व्यवस्था का अनुपालन के साथ-साथ इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम व पुलिस अधिनियम तथा अन्य सुसंगत दाण्डित प्राविधानों के तहत विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी ।

हृदेश कुमार,
पुलिस उपायुक्त यातायात,
कमिश्नरेट वाराणसी ।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियाजन, विज्ञप्तियां

नियम-3 का उपनियम (1)

सामाजिक सामाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना

एस0आई0ए0 अधिसूचना

20 मई, 2023 ई0

सं0 258/आठ-वि0भू0अ0अ0 प्रयागराज–राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका/नगर निगम जसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा–

1–	अपेक्षक निकाय का नाम	अधिशासी अभ्यिन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी।
2–	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	स्थाई सेतुओं के निर्माण आवागमन की सुगमता हेतु (आर0ओ0बी0 32सी, आर0ओ0बी0 15सी एवं आर0ओ0बी0 7 सी)
3–	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा	निदेशक, जी0बी0पंत, सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज
4–	संगठन का सम्पर्क विवरण	डॉ0 अर्चना सिंह, 9452165071

भूमि का विवरण–

क्र0सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा-संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर–
1	कौशाम्बी	सिराथू	धुमाई	322	0.0250
2				321	0.0114
3				320	0.0140
4				335	0.0150
5				338 मि0	0.0045
6				346 मि0	0.0755
7				349 मि0	0.0460
8				363 मि0	0.0216
9				89 मि0	0.0230
10				330 मि0	0.0178
				योग. .	**0.2539**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
11	कौशाम्बी	सिराथू	अझुआ	85	0.0230
12				566	0.0110
				योग. .	**0.0340**
13			बम्हरौली	1790 मि0	0.0810
14				1693	0.0157
15				634 मि0	0.0012
16				635	0.0054
17				883	0.0099
				योग. .	**0.1132**
18	,,	चायल	सैय्यद-सरांवा	597	0.0588
19				405 ख	0.0366
20				405 क	0.0072
21				401	0.0990
22				406	0.0162
23				606	0.0140
24				409	0.0072
25				605 क	0.0288
26				604	0.0288
27				603	0.0216
28				602	0.0120
29				612	0.0432
30				1470	0.0803
31				1431 ख	0.0100
32				1431 क	0.0441
33				1453	0.0784
34				1436	0.0720
35				1438	0.0384
36				1440	0.1008
37				1441	0.0540

1	2	3	4	5	6
	कौशाम्बी	चायल	सैय्यद-सरांवा		हेक्टेयर
38				1350	0.0360
39				1430	0.0243
40				1437	0.0554
41				1454	0.0240
42				1458	0.0035
43				1463	0.0173
44				613	0.0960
45				601	0.0240
				योग. .	**1.1388**

1–	प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का संक्षिप्त विवरण	रेलवे क्रासिंग के बार-बार बन्द होने से जाम की समस्या बनी रहती है। इस पुल का निर्माण हो जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगो जिससे आस-पास के क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी।
2–	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल	1– ग्रास-धुमाई (0.2539 हे0) एवं ग्राम अझुआ (0.0340 हे0) कुल क्षेत्रफल 0.2879 हेक्टेयर 2– ग्राम-बम्हरौली कुल क्षेत्रफल 0.1132 हे0 3– ग्राम-सैय्यद-सरांवा कुल क्षेत्रफल 1.1388 हे0
3–	क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता हैं?	हाँ
4–	सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि	20 जून, 2023

टिप्पणी– कलेक्टर (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ) कार्यालय, प्रयागराज में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट
कलेक्टर,
कौशाम्बी।

अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद

प्रारूप–19

[नियम–27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3938/आठ–वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम सैदपुरी महीचन्द परगना व तहसील नगीना के गाटा सं0 257 में अर्जित की जा रही 0.0090 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3307/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकोय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वणित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	नगीना	नगीना	सैदपुरी महीचन्द	257	0.0090

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के माध्यम से पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम सैदपुरी महीचन्द परगना व तहसील नगीना के गाटा सं0 257 में अर्जित की जा रही 0.0090 हेक्टेयर भूमि के लिये धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3307/ दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषण का प्रकाशन करा दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3939/आठ–वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम मौजमपुर जैतरा ग्रामीण, परगना व तहसील धामपुर में अर्जित की जा रही है कुल 0.7308 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3304/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	मौजमपुर जैतरा ग्रामीण	29 अ 29 ब	0.0488
				30 अ 30 ब	0.0488
				587	0.0990
				588 मि0 588 मि0	0.1760
				589 मि0	0.0430
				590 अ 590 ब	0.2432
				591	0.0720
				योग . .	**0.7308**

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के माध्यम से पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम मौजमपुर जैतरा ग्रामीण, परगना व तहसील धामपुर में अर्जित की जा रही 0.7308 हेक्टेयर भूमि के लिये धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3304/दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन करा दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3940/आठ–वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत काटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम हकीकतपुर गोविन्द, परगना व तहसील नगीना के गाटा सं0 82 में अर्जित की जा रही 0.2464 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3306/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	नगीना	नगीना	हकीकतपुर गोविन्द	82	0.2464

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के माध्यम से पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम हकीकतपुर गोविन्द, परगना व तहसील नगीना के गाटा सं0 82 में अर्जित की जा रही 0.2464 हेक्टेयर भूमि के लिये धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3307/ दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन करा दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,

जिला कलेक्टर,

बिजनौर।

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3941/आठ–वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुर गहला, परगना व तहसील धामपुर के गाटा सं0 55, 56 व 58 में अर्जित की जा रही 0.2725 हेक्टयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3305/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	मानपुर गहला	55	0.0595
				56	0.0590
				58	0.1540
				योग . .	**0.2725**

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–6, नजीबाबाद के माध्यम से पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुर गहला, परगना व तहसील धामपुर के गाटा सं0 55, 56 व 58 में अर्जित की जा रही 0.2725 हेक्टेयर भूमि के लिये धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3305/दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन करा दिया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

06 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 4509/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम विक्रमपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4510/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मऊ जनपद चित्रकूट के ग्राम खन्डेहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4511/जी0-169/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिलासपुर जनपद रामपुर के ग्राम खानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

25 नवम्बर, 2024 ई0

स0 6284 / जी0-33 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हापुड़ जनपद हापुड़ के ग्राम लुखराडा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—42 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई० (पौष 28, 1946 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 25 अक्टूबर, 2023 ई0 / 03 कार्तिक, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 346-मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 346-मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोट के अनुसार श्रीमती फूलझारी देवी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 346-मुबारकपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निवाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती फूलझारी देवी को कारण बताओ नोटिस संख्या-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमतो फूलझारी देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या-965/निर्वाचन-सं0रि0/2022-23 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पति श्री रामदुलारे राजभर द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 के पत्र संख्या-857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती फूलझारी देवी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती फूलझारी देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 346-मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती फूलझारी देवी, निवासी-ग्राम व पोस्ट-महुआ, मुरारपुर, जनपद-आजमगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान पारिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *25th October, 2023*
03 Kartika, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Azamgarh/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 346-Mubarakpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 346-Mubarakpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Azamgarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Smt. Phuljhari Devi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 346-Mubarakpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Azamgarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Phuljhari Devi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Smt. Phuljhari Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Sh. Ramdulare Rajbhar husband of the candidate on 12 February, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Azamgarh, *vide* its letter no. 965 / निर्वाचन-सं0रि0 / 2022-23 dated 13 September, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh in his Supplementary Report, *vide* its letter 857 / निर्वाचन-आवंटन / 2022-23 dated 28 June, 2023 has reported that Smt. Phuljhari Devi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Phuljhari Devi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Phuljhari Devi resident of Village & Post-Mahuva Murarpur, District-Azamgarh a contesting candidate from 346-Mubarakpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 116-शेखूपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शाहिद अली जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 116-शेखूपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निवाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शाहिद अली को कारण बताओ नोटिस संख्या-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शाहिद अली को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शाहिद अली ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शाहिद अली निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शाहिद अली, निवासी-मोहल्ला कबूलपुरा, पोस्ट खास शहर व जिला बदायूँ का इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान पारिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024* / *25 Phalguna, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 116-Shekhupur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 116-Shekhupur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Shahid Ali, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 116-Shekhupur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Shahid Ali for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Shahid Ali was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Shahid Ali has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Shahid Ali has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Shahid Ali resident of Mohalla Qabulpura Post Khas City & District Budaun a contesting candidate from 116-Shekhupur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 112-बिसौली (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 112-बिसौली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गौतम कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 112-बिसौली (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गौतम कुमार को कारण बताओ नोटिस संख्या-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गौतम कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई राहुल शाक्य द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गौतम कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गौतम कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रह हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 112-बिसौली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गौतम कुमार, निवासी-ग्राम-पिन्दारा, पोस्ट व तहसील-बिसौली, जनपद-बदायूँ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान पारिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024* / *25 Phalguna, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 112-Bisauli (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 112-Bisauli (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Gautam Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 112-Bisauli (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Gautam Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Gautam Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Shri Rahul Shakya brother of the candidate on 23 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Gautam Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Gautam Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Gautam Kumar resident of Village-Pindara, Post & Tehsil-Bisauli, District-Budaun a contesting candidate from 112-Bisauli (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–98 निर्वाचन–18.01.2025–75 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई० (पौष 28, 1946 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 328/न0पं0परो0/ला0शुल्क/2024-25–शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204 (ज0)/90 न0वि0अनु0-9 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 शासनादेश संख्या-2806/नौ-9-94-204 (ज0)/90 न0वि0अनु0-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 एवं नगर पंचायत समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के संकल्प संख्या-03(3) तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या-2, 1916) की धारा-298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परीक्षितगढ़ ने अपनी सीमा के अन्तर्गत लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा-301(1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 2024 से दिनांक 17 मार्च, 2024 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या-955/न0पं0परी0/ला0 शुल्क/2023-24 दिनांक 09 फरवरी, 2024 के द्वारा राष्ट्रीय समाचार-पत्र दैनिक आज में प्रकाशित किया गया था। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई है। तदोपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2024 के संकल्प सं0 04(1) में सर्वसहमति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली

1– **शीर्षक**–यह नियमावली नगर पंचायत परीक्षितगढ, मेरठ लाइसेंसिंग व अन्य शल्क सम्बन्धी नियमावली, वर्ष 2024 कहलायेगी।

2– **प्रकृति**– यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3– **परिभाषाय**– जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ जनपद-मेरठ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगर पंचायत मेरठ जनपद-मेरठ के बोर्ड से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) **''नगर पंचायत''** से तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ जनपद-मेरठ से है।

(च) **''नगर पंचायत की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) **''लाइसेंसिग अधिकारी''** से तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ के अधिशासी अधिकारी से है।

4– कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होन के पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

6– प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेंस प्राप्त कर लेव।

7– लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगर पंचायत लावड़ कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृति कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करेंगे।

8– केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9– ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10– नगर पंचायत प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते है और पत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

11– अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12– जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे संबंधित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

13– इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी लाइसेंस उपनियमावली की शुल्कों की दरें निरस्त हो जायेगी।

14– वाहनों के लाइसेंस न होने पर अथवा चेकिग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भो बन्द किया जा सकता है।

15– शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उपनियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

16– नगर पंचायत समिति यदि आवश्यक समझे तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शता के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करें, करा सकती है।

वार्षिक दरें निम्नवत् होगी–

क्र0 सं0	**मद**	**निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें**
1	**2**	**3**
(अ)	**होटल/रेस्टोरेन्ट –**	**रुपय**
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	670.00
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 से 20 शय्या तक	2,000.00
3	एक सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैय्यों से ऊपर तथा 30 शैय्या तक	4,000.00
4	31 शैय्या से 40 शैय्या तक	4,670.00
5	41 शैय्या से 50 शैय्या तक	5,335.00
6	50 शैय्या से ऊपर	6,000.00
7	3 सितारा होटल	6,000.00
8	5 सितारा होटल	8,000.00
9	रेस्टोरेन्ट	400–1,200.00
(ब)	**नर्सिंग होम–**	
1	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,335.00
2	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) (35.00 प्रतिबेड)	3,335.00
3	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,670.00
4	प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर)	3,335.00
5	प्राइवेट अस्पताल	3,335.00

1	2	3
		रुपय
6	पैथालाजी सेन्टर	670.00
7	एक्सरे क्लीनिक	1,335.00
8	डेन्टल क्लीनिक	1,335.00–2,670.00
9	प्राइवेट क्लीनिक	670.00–2,000.00
(स)	**परिवहन–**	
1	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	2,400.00
2	ट्रान्सपोर्ट (वाहन सहित एजेन्सी)	4,800.00
(स)	**परिवहन–**	रुपये
3	आटोरिक्शा 2 सीटर	240.00
4	आटोरिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	480.00
5	आटोरिक्शा 4 सीटर	335.00
6	मिनी बस	1,000.00
7	बस	1,670.00
8	तांगा/खड़खड़ा	35.00
9	रिक्शा किराये पर	100.00
10	रिक्शा (निजी चालित)	50.00
11	ठेला/ठेली	70.00
12	हाथ ठेला	20.00
13	बैलगाड़ी/भैसागाड़ी	20.00
14	ट्रैक्टर/टाली	100.00
15	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	670.00
16	मोटर गैरेज	800.00–2,400.00
17	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शाप	335.00–1,000.00
18	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	3,335.00–6,670.00
19	स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया 3 पहिया)	1,670.00–3,335.00
20	साइकिल की दुकान/साइकिल मरम्मत	335.00–670.00
(द)	**पेट्रोलियम–**	
1	दुकान मिटटी का तेल 100 गैलन तक	35.00
2	दुकान मिट्टो का तेल 300 गैलन तक	70.00

1	2	3
		रुपय
3	दुकान मिट्टो का तेल 500 गैलन तक	135.00
4	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	2,000.00
5	पेट्रोल पम्प डीजल थोक (आयल कम्पनी)	4,000.00
6	जनरेटर डीजल सेट (किराये पर)	800.00
7	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	800.00
(य)	**अन्य व्यवसाय–**	
1	आटा चक्की (स्पेलर/थालसर) धान मशीन व अन्य फैक्ट्री	335.00
2	धुलाई गृह (लान्ड्री)	335.00
3	ड्राइ क्लीनर्स	670.00–1,670.00
4	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
5	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड डिन्क, सोडा, ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1,000.00
6	गुड़ गोदाम	800.00
7	कंकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा	3,335.00–5,000.00
8	चूना	335.00
9	इट का भट्ठा	5,000.00
10	पेठा बनाने का कारखाना	800.00
11	जूता बनाने का कारखाना/दुकान	800.00–3,335.00
(य)	**अन्य व्यवसाय–**	रु0
12	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू	
	थोक मोरंग, मार्बल टाइल्स, हार्डवेयर	1,000.00–3,335.00
13	बिजली के समान के विक्रेता छोटे.बड़े	335.00–3,335.00
14	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर	470.00–5,000.00
15	चाय के थोक विक्रेता/फुटकर	800.00
16	नट फैक्ट्री	100.00
17	खाल तथा बाल उतारने वालों पर	670.00
18	कैटरिंग	670–1,335.00
19	बेकरी (पावर)	1,600.00
20	बेकरी (भट्ठो)	1,600.00
21	हेयर कटिग सैलून	335.00–1,000.00

1	2	3
		रुपय
22	ब्यूटी पार्लर	670.00
23	कुकिंग गैस एजन्सी	1,000.00
24	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,335.00
25	टेलारिंग हाउस (5 कर्मचारी)	470.00
26	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी के ऊपर)	2,400.00
27	कोयला थोक विक्रेता	3,335.00
28	कोयला फुटकर विक्रेता	335.00
29	बेडा नावे	200.00
30	मसाला/पान मसाला कारखाना/फैक्ट्री	3,335.00
31	पेन्ट दुकान	670.00
32	बड़ी नावें	135.00
33	छोटी नावें	70.00
34	ज्वेलर्स/सुनार (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्न ओवर	16,665.00
35	ज्वेलर्स/सुनार (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर से नीचे	8,000.00
36	विज्ञापन एजेन्सी	8,000.00
37	डेयरी फार्म	670.00
38	भूसा (थोक विक्रेता)	670.00
39	भूसा (फुटकर विक्रेता)	335.00
40	आडियो लाइब्रेरी	200.00
41	वीडियो लाइब्रेरी	670.00
42	केबिल टी0वी0	800.00
43	आर्कीटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्ट कास्ट एकाउन्ट	4,000.00
44	फाइनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	4,000.00
45	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	8,000.00
46	फाउन्डिग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	800.00
47	पशु बध स्लाटर हाउस छोटा/बड़ा प्रति पशु	30.00
48	सींग गोदाम	335.00
49	हड्डी/खाल गोदाम	670.00
50	अनाज, तिलहन, चीनी, खाण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	1,335.00

1	2	3
		रुपय
51	अनाज, तिलहन चीनी गुड़, खाण्डसारी (थोक विक्रेता)	4,000.00
(य)	**अन्य व्यवसाय–**	
52	बार/बियर	4,000.00
53	आइस फैक्ट्री	70.00
54	टेण्ट की दुकान (टेण्ट हाउस)	670–3,335.00
55	दाल, चावल, व बड़ी तेल की मिले (फैक्ट्री)	750–3,300.00
(र)	**दुकान–**	
1	पान की दुकान	70.00–800.00
2	चाय की दुकान	70.00–800.00
3	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	400.00–800.00
4	किताबों की दुकान (थोक)	670.00
5	किताबों की दुकान (फुटकर)	335.00
6	न्यूज पेपर	335.00
7	लकडो की टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	670.00
8	लकड़ी की दुकान (फुटकर)	335.00
9	टिम्बर मर्चेन्ट	8,000.00
10	रेडियोमैकेनिक/टी0वी0मरम्मत	670.00
11	टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक वस्तयें	2,400.00
12	फर्टिलाइजर शाप	800.00
13	प्लास्टिक फैक्ट्री	4,000.00
14	प्लास्टिक ट्रेडर्स	400–800.00
15	मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी	335–2,000.00
16	चाट/मसाला की दुकान	170–670.00
17	ड्राईफ्रूट थोक विक्रेता	800.00
18	ड्राइफ्रूट फुटकर विक्रता	400.00
19	गैस फिलिंग प्लान्ट	8,000.00
20	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	135.00
21	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	3,335.00
22	मसाले थोक विक्रेता	3,335.00

1	2	3
		रुपय
23	मसाले फुटकर विक्रेता	1,335.00
24	देशी शराब प्रति दुकान	4,000.00
25	विदेशी शराब प्रति दुकान	8,000.00
26	भैंसा मांस की दुकान	200.00
27	बकरा/बकरी आदि मांस की दुकान/मछली की दुकान	400.00
28	फर्नीचर की दुकान, शोरूम	3,335.00
29	फर्नीचर विक्रेता	1,670.00
30	क्राकरी विक्रेता फुटकर/थोक	335–1,670.00
31	चूड़ी विक्रेता	70–335.00
(ल)	**पशुपालन–**	
1	प्रति जुर्माना काजी हाउस में बन्द (छोटे/बड़े पशु)	235.00
2	काजी हाउस में बन्द खुराक प्रतिदिन	
	छोटे जानवर (बकरी आदि)	50.00
3	प्रति खुराक बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	100.00
4.	प्रति पशु प्रतिदिन (साफ-सफाई व्यवस्था)	50.00

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर पतिमाह रु0 50/– (पचास रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या-2, 1916) की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा जो रु0 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25/– (रुपय पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपराक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

हिटलर त्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत परीक्षितगढ़,
जनपद-मेरठ।

कार्यालय, नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 329/न0पं0परि0/विज्ञा0कर/2024-25—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा-298(2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परीक्षितगढ़ की समिति बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के संकल्प संख्या-03 (2) के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारा का प्रयोग करते हुए साइन बोर्ड/ग्ला साइन बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/वाल पेन्टिंग/कट आउट बोर्ड पोस्टर पर कर रोपड़ के उद्देश्य "विज्ञापन कर" नियमावली बनायी है, जिससे उक्त एक्ट की धारा-301(1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 2024 से दिनांक 17 मार्च, 2024 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 954/न0पं0परी0/विज्ञा0कर/2023-24 दिनांक 09 फरवरी, 2024 के द्वारा राष्ट्रीय समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित किया गया था। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई ह। तदोपरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2024 के संकल्प संख्या 04(3) में सर्वसहर्मात से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

विज्ञापन कर नियमावली

1— **शीर्षक**— यह नियमावली नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ "विज्ञापन कर" नियमावली, वर्ष 2024 कहलायेगी।

2— **प्रकृति**— यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3— **परिभाषायें**— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मरठ के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ से है।

(व) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "विज्ञापन" से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की गई है जिससे स्टेनसिल के छापे लिखे हुये या रंगीन तथा वे तस्वीरे और रेखा चित्र भी सम्मिलित है जो इस हेतु बनाये गये है।

(ज) "भवन" से तात्पर्य घर, दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण चाहे वे किसी भी विधि से बनायी गयी हो तथा इसके प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) "व्यक्ति" में वे सभी सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिये नियुक्त किये तथा फर्मो या कम्पनी/कम्पनी मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

4– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, परीक्षितगढ़ की सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन पर अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर नियमावली में किया गया है प्रदर्शित करने, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न ही लगवायेगा और न लगवाने का अधिकारी है।

5– नगर पंचायत, परीक्षितगढ़ की सीमा क भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की प्रतियां, विज्ञापन का आकार तथा जिनसे समय के लिये आज्ञा मांगी गयी हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसमें तथा स्थान उपयुक्तता आदि को देखते हुये अशिष्टता, उत्तेजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित जाँच-पड़ताल करके अस्वीकृति आवेदन-पत्रों पर अस्वीकृति के कारण अंकित किये जायेंगे।

6– अधिशासी अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रदद कर दे या काट दें या रोक द ऐसी दशा में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापस किया जायेगा ।

7– नगर पंचायत परीक्षितगढ़ की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगर पालिका अधिनियम के अध्याय-6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जावेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी संबंधित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेंगे।

8– उपरोक्त नियम पांच के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यों हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाय ।

(ख) ऐसा साइनबोर्ड जो संबंधित दुकान मकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विज्ञापन।

9– **दर/शुल्क**– इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा–

क्रम सं0	विवरण	आकार	वार्षिक कर	मासिक कर	दैनिक कर
1	2	3	4	5	6
			रुपये	रुपये	रुपये
1	साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/बोर्ड/होर्डिग ग्लो साइन बोर्ड उन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की ओर से विद्युत् प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से प्रकाशित हो, दुकानों/प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर नियमावली लागू नहीं होगी जिस पर दुकानदारों का नाम लिखा हो।	18'x8'	1,000.00	100.00	4.00
		8'x6'	750.00	75.00	3.00
		8'x4'	500.00	50.00	2.00
		3'x2'	400.00	40.00	1.50

1	2	3	4	5	6
			रुपये	रुपये	रुपये
2	वाल पेन्टिंग	तदेव	300.00	100.00	2.00
3	टी गार्ड	यूनिट	100.00	50.00	2.00
4	बैनर	यूनिट	100.00	50.00	2.00
5	रेलिंग पर (नगर पंचायत की जो प्रस्तावित है)	यूनिट	100.00	20.00	2.00

साइन बोर्ड का आकार 10'x3' से बड़ा नहीं होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 21'x3' से अधिक नहीं होगा तथा सड़क के धरातल से 12 फिट के ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

10– यदि नगर पंचायत यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगर पंचायत उसे हटा देगी।

11– दुकानों के आगे नाम पटिटका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

12– किसी प्रकार के विज्ञापन जो. नगर पंचायत शुल्क जमा कर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली है। ऐसे विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जो मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, दूसरे व्यक्तियों के प्रति घृणा उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसा कोई उद्बोधन करती हो जो विवाद उत्पन्न कर सकता है।

13– नगर सीमान्तर्गत लगाये गये टी गार्ड नगरीय शासकीय सम्पत्ति/रलिंग पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि वह सद्भाव पूर्ण, आचरणसंग एवं नैतिकतापूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ में निहित होगा।

14– अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है

15– नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ नगर सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों तथा नगर पंचायत के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

16– नगर पंचायत/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

17– ग्लो साइन बोर्ड/पेड़ो/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं किये जायेगें। क्यिास्क पट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंग। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर की साइज 4'1 मीटर से अधिक नहीं होगा।

18– उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन-परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ में निहित होगा।

19– शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परीक्षितगढ़ जनपद-मेरठ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25/– (रुपय पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

हिटलर व्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, परीक्षितगढ़,
जनपद-मेरठ।

कार्यालय, नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 330/न0पं0ला0/यू0चा0 नियमावली/अधि0/2023-24–नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिये नगर पंचायत परीक्षितगढ, मेरठ नगरपालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 एवं नगर पंचायत समिति की बैठक के संकल्प संख्या-03(4) दिनाक 26 दिसम्बर, 2023 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परीक्षितगढ ने अपनी सीमा के अन्तर्गत यूजर चार्ज सम्बन्धी नियमावली बनायी है। जिस पर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19 फरवरी, 2024 से दिनांक 18 मार्च, 2024 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 953/उपविधि/न0पं0परी0/यू0चा0 नियमावली/2023-24 दिनांक 09 फरवरी, 2024 के द्वारा राष्ट्रीय समाचार-पत्र दैनिक हिस्दुस्तान में प्रकाशित किया गया था। उक्त अवधि में कोई आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई है। तद्परान्त बोर्ड बैठक **दिनांक 10 जून, 2024 के संकल्प संख्या 04(4)** में सर्वसहर्मात से स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-98 के अधीन नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु यह उपविधि बनती है। यह उपविधि ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध (प्रबन्धन व हथालन) उपविधि, 2024 कहलायी जायेगी।

नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ मं एस0बी0एम0 क अन्तर्गत यूजर चार्ज नियमावली, 2024

(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ सीमान्तर्गत लागू होगी।

(स) अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(द) इस नियमावली मे अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

प्राधिकारी का अर्थ– नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ के अधिशासी अधिकारी से होगा।

प्राधिकारी संस्था– नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ से है।

क्षेत्र– यह उपविधि नगर पंचायत परीक्षितगढ, जनपद-मेरठ की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे समान रूप से प्रभावशाली होगी।

1– समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 मे उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनक द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों

मे गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीन क्रमशः हरा, नीला व लाल, सफेद ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत परीक्षितगढ़, जनपद-मेरठ द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनन वाले अथवा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों/मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नही फैले।

2– कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंण्डारित करेगा एवं Construction and Demolation Waste Rule 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3– नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएशन आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व मे उपर्युक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमे दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-पृथक् भंण्डारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

4– कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गो व खुले सार्वजानिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाडेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा मे रु0 5,000/– का जुर्माना वसूल किया जायेंगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5– काई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानो पर कूडा नहीं डालेगा न डालने देगा कूड के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6– बूचड़ खानों, मांस-मछली बजारा, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग मे लाया जा सके ऐसे व्यवसायियो को इस प्रकार के अपशिष्ट को पृथक से एकत्र करने एवं नगर पंचायत के कलेक्शन वाहन को प्रातदिन हैण्ड ओवर करने का प्रबन्ध करते हुए नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा ।

7– अस्पतालों, नसिग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नही मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम-2016 का अक्षरशः अनुपालन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देते हुए नगर पंचायत के व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

8– कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृाण उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर म पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9– कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10– अपशिष्ट कूड़ा-करकट सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

11– कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा और पृथक अपशिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12– मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओ को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान मे निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14– पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नही दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15– कोई भी व्यक्ति अपने भवन संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान स गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर, मल-मूत्र, दूगित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा न सार्वजनिक मार्गो एवं नालियों मे बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूगित हो व जन स्वास्थ को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन मे बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16– कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानो इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17– नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियो सें पाँच सौ रुपये एव पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियों को तुरन्त करनी होगी।

18– यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 08 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000/– का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19– कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखाएगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती ह–

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग र्राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत परीक्षितगढ़ क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3
		रुपये
1	गेस्ट हाउस	500/–
2	हॉस्टल	400/–
3	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट	500/–
4	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1,500/–
5	नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)	3,000/–
6	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	500/–
7	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1,000/–
8	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर तक)	1,500/–
9	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	4,000/–
10	दो पहिया वाहन एजेन्सी	300/–
11	चार पहिया वाहन एजेन्सी	500/–
12	व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट	1,000/–

1	2	3
		रुपये
13	माल	1,500/–
14	रिहायशी मकान (डोर टू डोर कलेक्शन)	50/–
15	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायिया पर	100/–
16	निजी खाली प्लाट पर पड़े कूडे-करकट की सफाई हेतु (3000 वर्गफीट) तक।	2,000/–

नगर पंचायत की शक्ति–

1– नगर पंचायत क्षेत्र मे नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानो, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न **"अनुसूची-अ"** में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2– नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। लागू कराने मे असक्षम/लापारवाही/असमर्थ कर्मचारी के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमो के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकार **"प्राधिकारी"** को होगा।

"अनुसूची-अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यो के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र0सं0	कृत्य	धनरार्शि प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1	रिहायशी भवनों के निवासियों	**100/–**
2	दुकानदारा द्वारा कचरा डालने पर	**500/–**
3	रेस्टोरेंट मालिका द्वारा खुला कचरा डालने पर	**1,000/–**
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	**1,500/–**
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	**5,000/–**
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एंव अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियो पर	**100/–**
7	सार्वजनिक स्थाना पर पेशाब करने वालो पर	**100/–**
8	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	**500/–**
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री ईट, सीमेन्ट लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर।	**1,000/–**
10	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा मलबा, गोबर इतयादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	**2,000/–**

1	2	3
		रु0
11	स्रकारी भवना, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यि प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2,000/–
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	5,000/–
13	अपने मकाना का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	1,000/–
14	अपने मकान भवन का सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5,000/–
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1,000/–
16	दुकान अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर आयल' मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	1,000/–
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	2,000/–
18	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट गधा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरो से गन्दगी फैलाने पर	500/– जानवर
19	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	2,500/–
20	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस–मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गदंगी फैलाने पर	2,000/–
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जिया बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी पर	200/–
22	हेयर कटिंग सैलून वाला द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर	200/–
23	दुकानदारों अथवा व्यवासायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	5,000/– उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।
24	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारो जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय/ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000/–

1	2	3
		रु0
25	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढ़ाबा चलाकर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	**2,000/–**
26	खुले में शोच जाने पर।	**500/–**

नोट– करों/शुल्कों/जुर्माना निर्धारित समय सीमा पर न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

हिटलर त्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत परीक्षितगढ़,
जनपद मेरठ।

कार्यालय, नगर पंचायत परीक्षितगढ़, मेरठ

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 331/उपविधि/न0पं0परी0/2024-25–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या-6433/नौ-1-96 दिनांक 07 नवम्बर, 1996 एवं नगर पंचायत समिति की बैठक के संकल्प संख्या-03(1) दिनाक 26 दिसम्बर, 2023 के क्रम में नगर पंचायत परीक्षितगढ, मेरठ अपनी सीमान्तर्गत मच्छरजनित एवं संक्रामक रोगों की रोक-थाम एवं प्रबन्धन निमित्त विनियम उपविधि, 2019 का पख्यापन करती है, जिसका विस्तार अधोलिखित है। प्रस्तावित उपविधि पर यदि किसी को कोई भी आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 2024 से दिनांक 17 मार्च, 2024 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या-952/उपविधि/न0पं0परी0/2023-24 दिनांक 09 फरवरी, 2024 के द्वारा राष्ट्रीय समाचार-पत्र दैनिक आज में प्रकाशित किया गया था। उक्त अवधि में कोई आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई है। तद्पोरान्त बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2024 के संकल्प संख्या 04(2) में सर्वसहमत से स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

1– (1) यह उपविधि नगर पंचायत (मच्छरजनक) स्थितियॉ पैदा करने वालों के विरुद्व कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2024 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त मानी जायेगी।

परिभाषायें

2– (1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में–

(क) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत क अधिशासी अधिकारी से है।

प्रतिषेध

3– कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में–

(1) पानी को ऐसे जमा नही होने देगा या बहने नही देगा कि जिससे मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सक या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होन देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से पानी को वहां जमाया संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेंण्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पाये।

जन विज्ञापन

4– किसी भी स्थिर पानी बहते पानी के जल-निकाय (वाटर बाडी) में यदि लाव पाय तो वह इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) की कीटनाशक उपचार

5– (1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रुके हुए या बहतें हुए पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हों, या उनके पनपने की सम्भावना हो, उन सभी के स्वामियों (ओनरो) अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो (चौबीस घण्टों से कम नही) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझता हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेगा।

(2) यदि उपविधि(क)के अन्तर्गत अभिग्राही आक्यूपायर किरायेदार लोज आदि पर आवास लेने वाले) को नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यजित (इम्प्लाइड) नही हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गई उचित धनरांश मांग सकता है अथवा उसे किराये में काट सकता है जो उसे मकान मालिक को देना है।

व्यतिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही

6– यदि उपविधि 5 (1) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किये गये है बताये गये उपायें करने से इन्कार करता है या नोटिस में निहित उपचार निर्दिष्ट समय में करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता ह मानों सम्पत्ति कर का बकाया हो।

मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा

7– किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सर्व निर्देश से अभिग्राही (आक्यूपायर) ने यदि कोई नियम करवाया है तो अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है जो मच्छर-रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावाट लाये।

मच्छर निवारण /नियंत्रण कार्य में दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक

8– अधिशासी अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उन स्थानों पर या उन भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी किसी भी प्रकार की छेड़ छाड़ नही करेगा न उसे बिगाडगा, नष्ट करेगा और बेकार करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उन सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

प्रत्येक पात्र

9– घर, भवन शेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नही रखेगा कि उसमे पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हा।

10– निमार्ण कार्य जैसे– सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन बोर पिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये। बोरपिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक बोरपिट से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से काई बोरपिट नही बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11– यदि मच्छरो की रोकथाम की किसी योजना कों कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद हो, या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार

12– अधिशासी अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस या भवन का मालिक या किराएदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मच्छर जनित रोगों/मलेरिया नियन्त्रण कार्य में जरूरत है।

शास्ति

नगर पंचायत परीक्षितगढ, मेरठ अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुए प्रति प्रकरण रु0 200/– प्रतिदिन दण्ड के रूप में वसूल करेगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड देने में असमर्थ रहता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित है।

हिटलर त्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत परीक्षितगढ़,
जनपद-मेरठ।

कार्यालय, नगर पंचायत, गैसड़ी, बलरामपुर

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 366/न0पं0गै0/2023–24–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128(1)(XIV–ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत गैसड़ी बलरामपुर के नगर पंचायत गैसड़ी सीमा क्षेत्रान्तर्गत में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने हेतु जो नियमावली बनायी गयी है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 131(3) की अपेक्षानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उनके सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत गैसड़ी कार्यालय के पत्रांक 318/न0पं0गै0/2023–24 दिनांक 20 फरवरी, 2024 द्वारा ''अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली'' का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण दिनांक 22 फरवरी, 2024 एवं हिन्दुस्तान दिनांक 24 फरवरी, 2024 में करते हुए 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पचांयत गैसड़ी कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोणित किया जाता है कि उक्त ''अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली'' शासकीय गजट में प्रकाशित होनें की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली

1–संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ पवृत्ति–

1. यह नियमावली नगर पंचायत, गैसड़ी बलरामपुर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली कहलायेगी।

2. यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब तक नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाया जाये।

3. यह नगर पंचायत, गैसड़ी में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के समस्त विलेखों पर प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं–विषय प्रसंग में कोई बात प्रांतकूल न होने पर इस नियमावली में–

क. अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत, अधिनियम 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या–2 सन् 1916) से है।

ख. नगर का तात्पर्य नगर पंचायत, गैसड़ी से है।

ग. शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।

घ. इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनो प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) से है।

ड़. नगर पंचायत, का तात्पर्य नगर पंचायत गैसड़ी बलरामपुर से है।

च. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत गैसड़ी के अधिशासी अधिकारी से है।

छ़ कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (XIV-ख) के अधोन लगाये गये कर से है।

3–नगर पंचायत, के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति क मूल्य पर अथवा भाग बन्धक की दशा म दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनरार्शि पर 2 प्रतिशत के दर से बढ़ाकर किया जायेगा।

4–कर लगाने की प्रक्रिया–उक्त वृद्धि क फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनर्राश प्रासांगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत, को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1. अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाय तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा–27 में निर्दिष्ट व्यौरे–

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैः–

क. नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति।

ख. नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2. र्याद ऐसे व्यौरे दस्तावेज में पृथक-पृथक व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिखे भेजेगा।

5–करके लेखे रचना–निबन्धक अधिकारी गैसड़ी बलरामपुर प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध पृथक-पृथक लेखे रखेगा, जिसमें शुल्क व कर दिखायेगा।

6–निबन्धन अधिकारी– जो दोवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय के प्रमाण-पत्रों को प्रतिलिपियां प्राप्त कर और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 (एक्ट संख्या 16, 1998) 89 के अधीन उन्हे अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा।

7–निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई ओर अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में वसूली की गयी धनर्राश और उसे जिला निबन्धक को उक्त प्रत्येक महीने के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

1. निबन्धक महानिरीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

3. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गैसड़ी बलरामपुर।

4. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।

8–नगर पंचायत, गैसड़ी की ओर से उगाही कर की धनर्राश ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेगें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत, गैसड़ी को लाटा दी जायेगी प्रतिदिन की धनर्राश प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गैसड़ो बलरामपुर प्रत्येक तिमाही के कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद की फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड–1 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–19 में एक बिल प्रस्तुत करेगी। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने क पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनर्राश प्राप्त करेगी।

9–(1) नगर पंचायत, की ओर से उगाही गयी कर की धनर्राश ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत, को लौटा दी जायेगी, प्रतिवान की धनर्राश प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठि सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाइनेन्शियल हड बुक खण्ड–5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 म दो प्रतिया में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनर्राश प्राप्त करेगा।

(2) नगर पंचायत, गसड़ी निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/परिश्रामिक का भुगतान भी करेगा, जा नगर पंचायत, के पश्चात् के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10–अभिलेखों का निरीक्षण–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ उपविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत, को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

प्रिंस कुमार
अध्यक्ष
नगर पंचायत गैसड़ी
बलरामपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, गैसड़ी, बलरामपुर

14 मार्च, 2024 इ0

सं0 367/न0पं0गै0/2023-24–उत्तर प्रदेश, नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिये नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर नगरपालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 मे निहित प्राविधानो के अधीन ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 (एस0बी0एम0 के अर्न्तगत यूजर चार्ज नियमावली, 2024)'' बनायी गयी। प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2024 (एस0बी0एम0 के अर्न्तगत यूजर चार्ज नियमावली, 2024) को उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 के अर्न्तगत की गयी यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर के निवासियों को आपत्ति एवं सझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य सें नगर पंचायत गैसड़ी कार्यालय के पत्रांक 317/न0पं0गै0/यू0चा0 नियमावली/अधि0/2023-24 दिनांक 20 फरवरी 2024 द्वारा ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 (एस0बी0एम0 के अर्न्तगत यूजर चार्ज नियमावली, 2024)'' का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' दिनांक 22 फरवरी, 2024 एवं ''हिन्दुस्तान'' दिनांक 24 फरवरी, 2024 में करते हुए 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पचांयत गैसड़ी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। नगरपालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोणित किया जाता है कि उक्त ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2024 (एस0बी0एम0 के अर्न्तगत यूजर चार्ज नियमावली, 2024)'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने को तिथि से प्रभावी समझी जायेगी–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 (एस0बी0एम0 के अर्न्तगत यूजर चार्ज नियमावली, 2024)

अ–यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 कहलायेगी।

ब–यह उपविधि नगर पंचायत गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर सीमान्तर्गत लागू होगी।

स–अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

द–इस नियमावली म अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

प्राधिकारी का अर्थ–नगर पंचायत गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर के अधिशासी अधिकारी से होगा।

प्राधिकारी संस्था–नगर पंचायत गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर से है।

क्षेत्र–यह उपविधि नगर पंचायत गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशाली होगी–

1–समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 मे उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों मे गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीनों रंगों क्रमशः हरा, नीला व लाल, सफेद ढक्कननुमा कचरा पात्र में

भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों/मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात किसी प्रकार की गंदगी, कूड़ा-करकट नही फैले।

2–कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भण्डारित करेगा एवं Construction and Demolation Waste Rule 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3–नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएशन आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व मे उपर्युक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनम दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-पृथक भण्डारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

4–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गो व खुले सार्वजानिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाडगा। उपविधि का पालन न करने की दशा मे रू0 1,000/– का जुर्माना वसूल किया जायेंगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानो पर कूडा नही डालेगा न डालने देगा कूड के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6–बूचड़ खानों, मांस-मछली बजारो फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग म लाया जा सके ऐसे व्यवसायियो को इस प्रकार के अपशिष्ट को पृथक से एकत्र करने एवं नगर पंचायत के कलेक्शन वाहन को प्रतिदिन हैण्ड ओवर करने का प्रबन्ध करते हुए नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा ।

7–अस्पतालों, नर्सिग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नही मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम, 2016 का अक्षरशः अनुपालन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देते हुए नगर पंचायत के व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

8–कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृाण उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर मे पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9–कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10–अपशिष्ट कूड़ा करकट, सूखी पत्तियां को जलाया नहीं जायेगा।

11–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा और पृथक अपशिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12–मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओ को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13–कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान म निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14–पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थला अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नही दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15–कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा न सार्वजनिक मार्गो एवं नालियों मे बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन मे बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16–कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानो इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17–नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले मे शौच करने वाले व्यक्तियो सें पाँच सौ रूपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रूपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियों को तुरन्त करनी होगी।

18–यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या-3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सडक के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रू0 5,000/– का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19–कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखाएगा।

20–उपनियमां म संशोधन पंचायत बोड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते है।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरे तय की जाती है–

क्र0 सं0	उपभाक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत गैसड़ी क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3
		रू0
1	गेस्ट हाउस	300/–
2	हॉस्टल	300/–
3	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट।	300/–
4	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1000/–
5	नर्सिग होम (50 बेड से अधिक)	2000/–
6	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	300/–
7	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1000/–
8	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर तक)	1500/–
9	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	3000/–
10	दो पहिया वाहन एजेन्सी	200/–

1	2	3
		रु0
11	चार पहिया वाहन एजेन्सी	400/–
12	व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट	500/–
13	माल	1000/–
14	रिहायशी मकान (डोर टू डोर कलेक्शन)	50/–
15	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्न का रस एंव अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियो पर	100/–
16	निजी खाली प्लाट पर पड़े कूडे करकट की सफाई हेतु (3000 वर्गफीट) तक।	2000/–
17	व्यक्तिगत मृत पशु का निस्तारण।	1000/–

नगर पंचायत की शक्ति–

1–नगर पंचायत क्षेत्र म नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानो, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा, करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न "अनुसूची–अ" मे घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2–नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। लागू कराने मे असक्षम/लापारवाही/असमर्थ कर्मचारो के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमो के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकार "प्राधिकारी" को होगा।

"अनुसूची–अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए निर्धारित केरिंग चार्ज

क्र0 सं0	कृत्य	धनराशि प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1	रिहायशी भवनों के निवासियों।	100/–
2	दुकानदारो द्वारा कचरा डालने पर।	300/–
3	रेस्टोरेंट मालिको द्वारा खुला कचरा डालने पर।	500/–
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर।	500/–

1	2	3
		रु0
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर।	2,000/–
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फाट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियो पर।	50/–
7	सार्वजनिक स्थानो पर पेशाब करने वालो पर।	100/–
8	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।	500/–
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री इट, सीमेन्ट लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर।	1,000/–
10	निजी ट्रैक्टरो द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़का पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर।	2,000/–
11	सरकारी भवना, चौराहा एवं दीवारा व उनके गेटा पर निजी वाणिज्यि प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारे ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)।	1,000/–
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर।	5,000/–
13	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर।	1,000/–
14	अपने मकान भवन का सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	2,000/–
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर।	500/–
16	दुकान अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर आयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	1,000/–
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तो में डालकर गन्दगी फैलाने पर।	2,000/–
18	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरा से गन्दगी फैलाने पर।	500/– जानवर
19	शादी/विवाह स्थलो के बाहर कचरा डालने पर।	2,500/–
20	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गदंगी फैलाने पर।	2,000/–

1	2	3
		रु0
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनार बैठकर सब्जिया बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी पर।	200/–
22	हेयर कटिंग सैलून बालो द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर।	200/–
23	दुकानदारों अथवा व्यवसायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।	5,000/– उपविधियो का लगातार उल्लघंन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।
24	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	1,000/–
25	प्राईवेट अस्पताल, नसिग होम क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।	2,000/–
26	खुले मे शौच जाने पर।	500/–

नोट–करों/शुल्कों/जुर्माना निर्धारित समय सीमा पर न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

प्रिंस कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत गैसड़ी,
बलरामपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, गैसड़ी, बलरामपुर

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 368/न0पं0गै0/2023-24–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम–1916 (अधिनियम संख्या–2, 1916) की धारा 298 (2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ड. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पचायत, गैसड़ी जनपद– बलरामपुर की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2023 के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि–2024 बनाई गयी है। प्रस्तावित भवन निर्माण उपविधि, 2024 को उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के धारा-301 के अर्न्तगत की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य सें नगर पंचायत गैसड़ी कार्यालय के पत्रांक 319/न0पं0गै0 (उपविधि)/भवन निर्माण/प्रकाशन/2023-24 दिनांक 20 फरवरी, 2024 द्वारा भवन निर्माण उपविधि–2024 का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण दिनांक 22 फरवरो, 2024 एवं अमर उजाला दिनांक 22 फरवरी, 2024 में करते हुए 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पचांयत, गैसड़ी कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगरपालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोणित किया जाता है कि उक्त ''भवन निर्माण उपविधि–2024'' शासकीय गजट म प्रकाशित होनें की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

भवन निर्माण उपविधि, 2024

1–शीर्षक–यह उपविधि नगर पंचायत, गैसड़ी, जनपद–बलरामपुर भवन निर्माण उपविधि वर्ष–2024 कहलाएगी।

2–प्रकृति–यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, गैसड़ी, जनपद– बलरामपुर में प्रभावी रहेगी।

3–परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में –

1–**''अधिनियम''** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–संख्या–2, 1916 से है।

2–**''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगर पंचायत, गैसड़ी जनपद–बलरामपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

3–**''बोर्ड/समिति''** का तात्पर्य नगर पंचायत, गैसड़ी जनपद–बलरामपुर के बोर्ड/समिति से है।

4–**''अध्यक्ष''** का तात्पर्य नगर पंचायत, गैसड़ी जनपद–बलरामपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5–**''नगर पंचायत''** का तात्पर्य नगर पंचायत, गैसड़ी जनपद–बलरामपुर से है।

6–**''नगर पंचायत''** की सीमाओं का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–नोटिस–यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत गैसड़ी जनपद-बलरामपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा–178 के अर्न्तगत नगर पंचायत, को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा–

(क)–स्थल का मानचित्र–अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे :–

1–स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2–स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भूखण्डों का विभाजन।

3–समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4–भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5–विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6–स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्स का क्षेत्रफल।

7–प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8–यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।

9–भवन स्वामी के पास यदि भवन के सम्बंध में कोई ठोस अभिलेख नही है या निकाय को कोई शंका है तो परगना मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी से भूमि का सत्यापन अध्यासी को स्वयं कराना होगा।

10–भवन मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त स्वामित्व सम्बंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो निकाय से कोई वास्ता सरोकार नहो होगा।

11–भवन मानचित्र का स्वामित्व से कोई सम्बंध नही होगा।

12–ऐसी भमि/भवन जिनका वाद किसी न्यायायल में विचाराधीन है कि स्वीकृति विधिक परामर्श के उपरान्त ही दी जायेगी।

13–नगर पंचायत, को यदि भवन मानचित्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उनमें आवश्यक संशोधन का अधिकार नगर पंचायत, को होगा।

(ख)–भवनों का मानचित्र–भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिए। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगेः–

1–प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2–नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3–शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4–मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जाएगा।

5–भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6–मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7–मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएंगे।

8–उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे –

1– **भवन का उद्देश्य –**

- स्वयं रहने के लिए।
- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- उद्योग धन्धों के लिए।
- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जाएगा।

5–प्लान– इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6–मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनर्राशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जाएगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनर्राशि वापस कर दी जाएगी।

7– शुल्क उपनियम–4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा–

क्र0	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	03.00	02.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	03.00	03.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	10.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	15.00	08.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	20.00	10.00
7	भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया	05.00	00.00
8.	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 2,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।		
9	प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

1–प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2–नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अर्न्तगत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

3–सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेवशन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5–भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड) भीतर की ओर खुलेंगे।

6–यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

7–धार्मिक स्थल मांदर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

8–विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

9–200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

10–किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8–शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास– ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9–भवन में फ्लश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

10—**नालियॉ**—भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11—**पिलिन्थ (कुर्सी)**—भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊॅचा रखना होगा।

12—**भवन की ऊॅचाई**—भूतल से फर्श छत पर ऊॅचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनो होगी।

13—**(क)**—भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना—बहु मंजिले भवनो के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14—किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15—जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16—जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तो को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17—पूर्व से निर्मित किसी निर्माण/भवन/प्रतिष्ठान की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उक्त दरों पर होगी।

18—उपनियमों में संशोधन नगर पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते है।

19—निकाय/बोर्ड उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन क नाम के निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहॉ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश द सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम—2, 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, गैसड़ी जनपद-बलरामपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/—(एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/—(पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

प्रिंस कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गैसड़ी,
बलरामपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, गैसड़ी, बलरामपुर

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 369/न0पं0गै0/2023-24–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर अपनी बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2023 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024'' को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 कें धारा-301 के अर्न्तगत यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य सें नगर पंचायत गैसड़ी कार्यालय के पत्रांक 316/न0पं0गै0/बायलॉज/(2023–24) दिनांक 20 फरवरी, 2024 द्वारा प्रस्तावित ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024'' का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 22 फरवरी, 2024 एवं अमर उजाला दिनांक 22 फरवरी, 2024 में करते हुए 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पचांयत गैसड़ी, कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोगित किया जाता है कि उक्त ''विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होनें की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024''

शासनादेश सं0 2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।:–

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

यह नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर में प्रवृत्त हागी।

2–परिभाषायें–उपरोक्त नियमावली मे विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये –

"अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्प "नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

"अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

"प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य, नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के प्रभारी अधिकारी से है।

"लाइसेंसिंग अधिकारी" का तात्पर्य, नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।

"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

"नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर से है।

3–उपनियम–

इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नही चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स की अवधि 01 वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल, से लागू हो 31 माच, को समाप्त होगी।

प्रत्येक दुकानदार/व्ययसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स पाप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत गैसड़ी, में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

दुकानदार/व्यवसायो को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटो का मापो में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु प्राप्त लाइसेन्स से भिन्न होगा।

कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।

नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारो/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाईसेन्स दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैसड़ी, बलरामपुर के द्वारा लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।

जो शुल्क इस तालिका म नही है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व मे प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरे स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

वाहन के लाइसेंस न बनाने अथवा चेकिंग मे पकडें जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते है तत्पश्चात 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाईसेसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।

उपनियमों मे संशोधन पंचायत बोड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते है।

वित्तीय वर्ष के माह-जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 100.00 विलम्ब शुल्क के रूप म वसूल किया जायेगा।

दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेंस शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नही करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भॉति करायी जायेगी।

नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेंस शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।

सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नही होने पर लाइसेंस देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

व्यवसायिक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु अन्य आवंटन विभागों से एन0ओ0सी0 इत्यादि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4–**लाइसेंस शुल्क**–शासनादेश सं0 541/नौ-9-99-23ज/97 टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित सं0 1241/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून, 1998 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये लाइसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूची दरे वसूली प्रभाव रहेगा।

वार्षिक दरें–

क्र0सं0	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेंस हेतु निर्धारित दरें प्रति वर्ष
1	2	3
		रु0
01	पॉच सितारा होटल	12,000.00
02	तीन सितारा होटल	9,000.00
03	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस (10 शेय्या तक)	900.00
04	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
05	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
06	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
07	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	3,000.00
08	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	2,000.00
09	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	5,000.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00
11	पथालॉजी सेन्टर	2,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	2,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई–रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई–रिक्शा 04 सीटर	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई–रिक्शा 02 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पों/जीप/टैक्सी आदि	500.00
19	तॉगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
22	ठेला	75.00
23	हाथ ठेला	20.00
24	ट्रॉली मशीन चालित	500.00

1	2	3
		रु0
25	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
26	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00
27	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00
28	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
29	इंश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
30	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
31	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	50.00
32	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
33	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
34	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बडे जानवर	100.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	50.00
35	अन्य समस्त प्रकार की दुकान	1,000.00

5–जलमूल्य वसूली–

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1010-19-2-96(2)–96 दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 क अंतर्गत की निम्नवत् दरे प्रस्तावित है–

क्रमांक	घरेलू संसोधित दरे (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
1	2
1	रु0 50.00
	व्यावसासिक संसोधित दरे (रु0 प्रतिमाह) वर्तमान
2	रु0 100.00

नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानो का उपयोग करते है का वार्षिक शुल्क रु0 1,000.00 देय होगा।

ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते है वार्षिक मूल्य रु0 2,000.00 देय होगा।

वसूली अवधि 01 अप्रैल, से 31 मार्च, होगी।

नगर पंचायत वार्णिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।

नगर पंचायत समुचित अभिलेखो को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमे डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय मे बिल तैयार कर वितरित करना।

6–**शो-टैक्स**– नगर पंचायत गैसड़ी, सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7–**विज्ञापन-शुल्क**– सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0 618/नौ-9-2012-277 ज/2011 दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के संबंध में दिशा निर्देश–

विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

विज्ञापन पटों की सुदृढता प्रत्येक दशा मे सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकडियों से बांधा नही जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।

विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।

कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा मे जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहो होने चाहिये और उसमे सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नही होने चाहिये।

8–ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन पर शुल्क–

पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर 250 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 5,000/– एवं 400 के0वो0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 10,000/–वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर, 400 के0बी0 की अधिक की क्षमता के लियें– रु0 25,000/– वार्णिक

पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 50,000.00 वार्षिक।

9–अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष–

मछली फुटकर बिक्री	रु0 500.00
मछली थोक बिक्री	रु0 1,000.00
फल फुटकर बिक्री	रु0 500.00
फल थोक बिक्री	रु0 2,000.00
सब्जी फुटकर बिक्री	रु0 500.00
सब्जी थोक बिक्री	रु0 2,000.00
अण्डा फुटकर बिक्री	रु0 500.00
अण्डा थोक बिक्री	रु0 2,000.00
मुर्गा, बकरा, थाक बिक्री	रु0 5,000.00
मुर्गा बकरा फुटकर बिक्री	रु0 2,000.00

10–विविधकर (शुल्क) की दरें–

प्रमाण-पत्र शुल्क– रु0 200.00 (दो सौ रु0 मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।

पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 500.00 पाच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 800.00 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 1,500.00 एक हजार पांच मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम मे निर्माण कार्य हेतु रु0 2,500.00 दो हजार पाँच सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 2,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में शुल्क रु0 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

पंचायत सीमा में स्थित पैट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।

पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक।

पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।

पंचायत सीमा में व्यवसाय करन वाले रेस्टोरेन्ट/ढ़ाबा पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ मात्र) वार्षिक।

पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 500.00 (रू0 पाँच) वार्षिक।

गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।

पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 10.00 लिया जायेगा।

पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर यदि अतिक्रमण कर्ता द्वारा अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

पंचायत सीमा म स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारो (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उसस कम कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 500.00 वार्षिक तथा बडे दुकानदारो (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वाणिक।

छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 2,500.00 (रु0 दो हजार पाँच सौ) मात्र।

नगर पंचायत सीमा मे स्थित राइस, गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्णिक।

नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।

नगर पंचायत जे0सी0बी0 किराया रु0 1,000.00 (एक हजार) रु0 प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने जाने का समय सहित।

मोबाइल टायलेट किराया रु0 1,000.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक शुल्क।

नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंको पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।

नगर पंचायत सीमा में जल कनेवशन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 2,000.00 (दो हजार) रूपया प्रति कनेक्शन।

नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 500.00 (पाँच सौ) रुपया प्रति कनेक्शन।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु0 1,000.00 (एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000.00 (रू0 पांच हजार) मात्र वाषिक, वित्तीय-वर्ष के प्रथम मास तक। सिक्योरिटी हेतु एफ0डी0आर0 रु0 25,000/– रुपया के साथ।

शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रू0 2,000.00 वार्षिक (रु0 दो हजार) मात्र।

देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार) वार्षिक।

विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।

बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) वार्षिक।

मॉडल शाप व्यावसार्यिक शुल्क प्रति दुकान रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) वार्षिक।

समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

अन्य जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय।

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

प्रिंस कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गैसड़ी,
बलरामपुर।

सूचना

एत्द्वारा सूचित किया जाता है कि साझेदार– श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व0 नरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री जवाहर गुप्ता साझेदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें एक नये साझेदार श्री राहुल सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह शामिल हो रहे है। वर्तमान में कुल 3 साझेदार श्रीमती सुशीला सिंह, श्रीमती मंजू गुप्ता एवं श्री राहुल सिंह है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है

सुशीला सिंह,
साझेदार,
मेसर्स– सिंह एसोसियेट्स,
पता– 1/1073 विशाल खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

स्चना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम सूर्य प्रताप सिंह चावला पुत्र गुरू प्रताप सिंह चावला है, जो उनके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–23215155), आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम सूर्य चावला अंकित हो गया है। जो कि गलत है।

कबीर चावला,
पुत्र सूर्य प्रताप सिंह चावला,
बी0–2एम/124, एस0बी0आई0 कॉलोनी,
सीतापुर रोड स्कीम, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 देवलोक एनटरप्राईजेज, खसरा नं0–632, 633, 634, और 635 बठैन कला तह0 जिला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री नीरज गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल, श्री बांके बिहारी पुत्र श्री विशन चन्द, श्रीमती कमला खण्डेलवाल पत्नी श्री विनोद खण्डेलवाल, श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री शिव सिंह, श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री श्याम लाल अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 04 जून, 2023 को संचालन की थी आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को विघटित कर दी गयी है।

नीरज गोयल,
साझेदार,
मे0 देवलोक एन्टरप्राईजेज,
खसरा नं0–632, 633, 634,
और 635 बठैन कला तह0,
जिला मथुरा।

सूचना

मरी फर्म मे0 मिश्रा गैस सर्विस त्रिलोचन बाजार मछोदरी वाराणसी यू0पी0 के तीन साझेदार क्रमशः जय प्रकाश मिश्रा, जया मिश्रा व प्रशान्त मिश्रा थे जय प्रकाश मिश्रा की मृत्यु दिनांक – 16 नवम्बर, 2023 को हो गयी फर्म में अन्य साझेदार सम्मिलित नहीं हुए हैं, अब जया मिश्रा व प्रशान्त मिश्रा फर्म के पार्टनर हैं।

Jaya Mishra,
15/135 P-2 बल्लभ,
विहार कालोनी, मवईयां वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश कुमार ड्रोलिया पुत्र श्री राम प्रसाद ड्रोलिया निवासी–हाउस नं0 96ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, जिला–वाराणसी फर्म मेसर्स डी0 एस0 प्रोडक्ट्स, प्लाट नं0 एफ–38, एफ–52, एफ–53, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, जिला–चन्दोली, उ0प्र0 का अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से सूचित करता हूँ कि उपरोक्त फर्म में पहले फर्म में पहले दो साझेदार राजेश कुमार ड्रोलिया, सन्तरा देवी ड्रोलिया थे, जिसमें द्वित्तीय साझेदार सन्तरा देवी ड्रोलिया दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को अपना हक हिस्सा लेकर उक्त फर्म से पृथक हो चुकी है। अब उनकी फर्म से किसी भी प्रकार की लेनदारी या देनदारी नहीं है। तथा उसी दिन उक्त फर्म में सारिका ड्रोलिया नये साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः अब उक्त फर्म में दो साझेदार क्रमशः राजेश कुमार ड्रोलिया व

सारिका ड्रोलिया है। साझेदार सन्तरा देवी ड्रोलिया का निधन 09 दिसम्बर, 2022 को हो चुका है।

राजेश कुमार ड्रोलिया,
पता–हाउस नं0 96ए,
रविन्द्रपुरी कालोनी, जिला–वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित हा कि मेसर्स मेजर एस0 के0 फिलिंग प्वाईन्ट पता– ग्राम युसुफपुर, भोपा मोरना रोड मुजफ्फरनगर उ0प्र0 –251308, जिसका पंजीकरण संख्या–MUZ/0017455 दिनांक 19 फरवरी, 2024, उक्त फर्म में अमित कुमार पुत्र श्री हंसराज सिंह निवासी– ग्राम दरियाबाद, पोस्ट मोरना, तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 –251316 व सुखपाल सिंह पुत्र माम चन्द निवासी मं0नं0 150, ग्राम सलूनी, पोस्ट सरसावा जिला सहारनुपर उ0प्र0–247232 पार्टनर थे, जिसमें एक पार्टनर श्री सुखपाल सिंह पुत्र माम चन्द दिनांक 14 जून, 2024 को मृत्यु हो गयी है, और श्रीमती चन्दरी पत्नी स्व0 सुखपाल सिंह कर्णवाल फर्म में सम्मिलित हुए है, अब फर्म में अमित कुमार व श्रीमती चन्दरी साझेदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

अमित कुमार,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स ओम सिंह कोन्ट्रक्टर्स पता–500/3/1–ए कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर उ0प्र0–251001, जिसका पंजीकरण संख्या–1874–एस दिनांक 16 अगस्त, 2017, उक्त फर्म में राहुल कुमार पुत्र श्री ओम सिंह निवासी मं0 नं0 500/3/1–ए कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर उ0प्र0–251001 व अजय कुमार पुत्र श्री राजवीर निवासी मं0 नं0 41 जमालपुर बांगर, मीरापुर खुर्द जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 –251315 पार्टनर थे, जिसमें एक पार्टनर श्री अजय कुमार पुत्र श्री राजवीर दिनांक 13 अप्रैल, 2018 को फर्म से स्वेच्छा से निकल गये है और श्री ओम सिंह पुत्र श्री गोरधान सिंह फर्म में सम्मिलित हुए है, अब फर्म में राहुल कुमार व ओम सिंह साझीदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

राहल कुमार,
पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा तथा मेरी माता का सही नाम क्रमशः संजना तथा लालती देवी है जो हम दोनों के पैन व आधार कार्ड में अंकित है तथा मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (23173515) है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट के अक प्रमाण पत्र (23650982) में मेरा नाम संजना यादव तथा माता का नाम लालती यादव हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजना,
पुत्री महेन्द्र यादव,
ग्राम– रहीमाबाद सरैया, सहजनवां,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वामिका तिवारी पुत्री ललित कुमार तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9553 6348 9483 में उसका नाम आराध्या तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का उसके सही नाम वामिका तिवारी पुत्री ललित कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गयी है।

ललित कुमार तिवारी,
पता-241 स्टेशन रोड सीता राम की गली,
पश्चिम सहोदरपुर प्रतापगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परी यादव पुत्री राजदेव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–7439 1380 0097 में उसका नाम लाडो यादव अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परी यादव पुत्री राजदेव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गीता देवी,
पत्नी स्व0 राजदेव,
निवासी–ग्राम कली मुरादपुर,
वि0ख0–गौरा, तहसील रानीगंज,
थाना–पतनपुर
जनपद–प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सत्य प्रकाश उमर (SATYA PRAKASH UMER) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, तथा मेरे पुत्र का सही नाम (ADITYA GUPTA) है, जो उसके आधार कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक/प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23192225 में मेरा तथा मेरे पुत्र का नाम क्रमशः STAYA PRAKASH UMAR तथा ADITYA अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मै शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ धर्म से तसदीक करता हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 में अंकित तथ्य सही एवं सत्य है, इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

सत्यप्रकाश उमर,
निवासी-ग्राम दिलशादपुर,
तेजी बाजार तहसील बदलापुर,
जनपद जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों एवं ड्राईविंग लाईसेन्स में मेरा नाम राम प्रकाश पुत्र राम भरोसे अंकित है तथा मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक एकाउण्ट में मेरा नाम राम प्रकाश शुक्ला पुत्र राम भरोसे शुक्ला अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मेरे सही नाम राम प्रकाश शुक्ला पुत्र राम भरोसे शुक्ला के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम प्रकाश शुक्ला,
पुत्र राम भरोसे शुक्ला,
ई–4736, राजाजीपुरम,
लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख मे अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–8504 3385 0267 में उसका नाम प्रीत सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेन्द्र कुमार सिंह,
पता– भिलगौर गौरा जिगना,
जिला–मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो0 शाहबान पुत्र मो0 यासीन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–4840 3425 7860 में उसका नाम मो0

हैरान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो0 शाहबान पुत्र मो0 यासीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो0 यासीन,
पुत्र शाह मोहम्मद,
ग्राम-बीबी वारी पो0 आरा कला,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मदेरू यादव पुत्र पुनवासी यादव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड प्रधान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–6217 4065 6515 में मेरा नाम सोपाड़ी यादव पुत्र पुनवशो यादव हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मदेरू यादव पुत्र पुनवासी यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मदेरू यादव,
पुत्र पुनवासी यादव,
ग्राम जोरई, ज्ञानपुर, जिला भदोही।

सूचना

मैं शपथकर्ता उजैर सिद्दीकी पुत्र अब्दुल रशीद सिद्दीकी निवासी– म0नं0– 255/24 मोहल्ला तिलियाकोट, रायबरेली शपथपुर्वक घोषणा करते हुए सूचित करता हूं कि शपथकर्ता का त्रुटिवश हाईस्कूल प्रमाण–पत्र अनुक्रमांक संख्या–0788634 सन् 2002 में मेरे पिता का नाम ए0 आर0 सिद्दीकी (A.R. Siddiqi) अंकित है, एवं मेरी माता का नाम समीम बानो (Samim Baano) अंकित है जो गलत है। मेरे पिता के आधार कार्ड, पैन कार्ड के अनुसार उनका सही नाम अब्दुल रशीद सिद्दीकी (Abdul Rasheed Siddiqui) है एवं माता के आधार कार्ड के अनुसार उनका सही नाम शमीम बानो (Shameem Bano) है। भविष्य में शपथकर्ता को उजैर सिद्दीकी पुत्र अब्दुल रशीद सिद्दीकी (Abdul Rasheed Siddiqui) माता का नाम शमीम बानों (Shameem Bano) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

उजैर सिद्दीकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश कौशल पुत्र सतीश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–3600 6986 6272 में उसका नाम शिवांशु कौशल अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश कौशल पुत्र सतीश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सतीश कुमार,
पता–आराजी सं0–63,
शाहा उर्फ पीपलगांव,
प्रयागराज, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।